



U.P. Electricity Regulatory Commission
2nd Floor, Kisan Mandi Bhawan , Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow

No. UPERC/Secy/D(L)/Advt./2010-1614

Lucknow, Dated: 9-2-2010

PUBLIC NOTICE

In exercise of powers conferred under section 181 of Electricity Act,2003 read with section 52 of UP Electricity Reforms Act,1999, UPERC has prepared draft regulations "Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Fees & Fines) Regulations 2010" consistent with the provisions of Electricity Act,2003.

Objections / suggestions / comments, if any, on the draft regulations may be submitted in person or by post/ Fax / E-Mail to the Secretary, U.P. Electricity Regulatory Commission latest by 25th February, 2010.

The proposed draft regulation can also be downloaded from UPERC website www.uperc.org.

Secretary

Phone : 0522-2720426, 2720427

Fax : 0522-2720423

E-Mail : secretary@uperc.org



उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

द्वितीय तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड गोमती नगर,
लखनऊ

संख्या / यूपीईआरसी / सचिव / डी(एल) / प्रका0 / 2010-1614

दिनांक: 9.02.2010

सार्वजनिक सूचना

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के साथ पठित उ0प्र0 विद्युत सुधार अधिनियम 1999 की धारा 52 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने " उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं जुर्माना) विनियमावली 2010" का आलेख सृजित किया है, जो विद्युत अधिनियम 2003 के प्राविधानों से सुसंगत है।

उक्त विनियमावली पर आपत्ति/सुझाव/मंतव्य आमंत्रित किए जाते हैं जो व्यक्तिगत रूप से या पोस्ट/फैक्स/ई मेल द्वारा सचिव, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को विलम्बतः 25 फरवरी, 2010 तक भेजे जा सकते हैं।

प्रस्तावित विनियमावली का आलेख विद्युत नियामक आयोग की वेब साइट www.uperc.org से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

सचिव

फोन 0522-2720426, 2720427

फैक्स 0522-2720423

ई-मेल secretary@uperc.org